न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 19 / 2025 बउनवानी सुरेश चन्द राठौर **बनाम** उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर पुत्र श्री लड्डू लाल राठौर निवासी 1 / 23,हाउसिंग बोर्ड आलनपुर

GCMS No-2025/86

तारीख हुकम — हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

27.3.2025

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 24.12.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"पत्रावली संख्या 548 / 11.9.2003 प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी स0मा0 आदेश क्रमांक 03 / 857 दिनांक 31.11.2003 सुरेशचन्द बनाम सरकार ग्राम जीनापुर के ख0न0 533 / 2 करबा 400 वर्गगज की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित सूचना"* उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आर.ए. / 24 / 563 दिनांक 25.3.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2024 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे लिखा है कि दिनांक 31.11.2003 को सुरेश चन्द बनाम सरकार के नाम की किसी पत्रावली का निर्णय नही होने के कारण चाही गयी सूचना से संबंधित कोई रिकार्ड उपजिला कलेक्टर कार्यालय सवाईमाधोपुर मे उपलब्ध नही है। जिसके संबंध मे जरिये पत्रांक सूकाअ / 2024 / 171 दिनांक 24.1.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.12.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड उपजिला कलेक्टर कार्यालय सवाईमाधोपुर के कार्यालय मे संधारित नही होने के कारण चाही गयी सूचना अपीलान्ट को दिया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:10:02 IST
Reason: SelfAttested